

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/एल-63/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2025

डा० ऋतु कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री एवं प्रसूति रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलछी, पटना द्वारा दिनांक-01.04.2023 से 22.07.2024 तक कुल-479 (चार सौ उन्नासी) दिन उपभोगित अवकाश अगधि को वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1001(25), दिनांक 25.05.2023 एवं वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० ऋतु कुमारी को 251 (दो सौ इक्यावन) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(विद्यानन्द जमादार)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-2/एल-63/2023- 721(2) पटना, दिनांक 8/5/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलछी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० ऋतु कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी(स्त्री एवं प्रसूति रोग), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेलछी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव